# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः—70 / 2020 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः—2020 / 00129

उनवान

1. लालाराम पुत्र मूला जाति नाई निवासी दीपपुरा तहसील व जिला करौली राजस्थान

....अपीलांट।

बनाम

1. भरतलाल पुत्र सिलोना जाति मीना निवासी जमुनालाल के पेट्रोल पम्प के पास गुलाब बाग करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।
2. कल्याण पुत्र हीरा जाति नाई
3. रामहरी पुत्र बाबूलाल
4. भूरा पुत्र बाबूलाल
5. कमलसिंह पुत्र रामफूल
6. लाला पुत्र रामफूल

   सभी जातियान मीना निवासीयान दीपपुरा तहसील व जिला करौली राजस्थान।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः—

1. श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री नवल किशोर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 07।
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित।

—::निर्णय::—

दिनांक :— 06.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 124 / 14 बउनवान लालाराम बनाम कल्याण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2020 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 1... 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1748 के 1/2 हिस्से जो कि वादी की खातेदारी की भूमि है, में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करे और न ही किसी प्रकार से रहन वय अन्य किसी को हस्तान्तरित नहीं करे। मातहत अदालत ने दिनांक 11.09.2020 को निर्णय पारित किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2112, 2115 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी नं0 03 व 04 एव ख0 नं0 2111 रकबा 2 बीघा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 2 से रास्ता रखते हुये एव ख0 नं0 1748 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा गांव दीपपुरा तहसील करौली का वादी अपने 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 01 से बंटवारा करने का अधिकारी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2112 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2115 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1748 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दीपपुरा तहसील करौली वादी एवं प्रतिवादी नं 01 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। मुताबिक जुबानी आराजीनामा खसरा नम्बर 2112 रकबा 01 बिस्वा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 1748 रकबा 01 बिस्वा 11 बिस्वा वादी/अपीलांट के हिस्से में आई तभी से वादी एवं प्रतिवादी कल्याण मुताबिक बंटवारा अपने हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मातहत अदालत के समक्ष पेश वाद पत्र में वादी/अपीलांट द्वारा मुख्य अनुतोष ये चाहा गया था कि आराजी खसरा नम्बर 2112 रकबा 2 बीघा का बंटवारा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 01 के मध्य किया जावें । किन्तु मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली ने खसरा नम्बर 2112 व 2115 के बंटवारा आदेश देते हुए खसरा नम्बर 1748 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा में से वादी/अपीलांट का बरूऐ राजीनामा वादी अपीलांट के हक में पत्रावली पर होते हुए बंटवारा किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जो कि गैर कानूनी है। अतः मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2020 अपास्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत की पत्रावली पर खसरा नम्बर 1748 के बाबत् वादी/अपीलांट की कोई दादरसी न होते हुए प्रतिवादी नम्बर 02 की ओर से रास्ते के बाबत् कोई इस्तदुआ न होते हुए भी रास्ते का निर्णय न्यायालय द्वारा पारित कर दिया।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

मातहत अदालत ने अपीलांट द्वारा चाहे गए मुख्य अनुतोष से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। जो कि विधि विरूद्व हैं। अतः मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2020 अपास्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि मुताबिक वाहमी बंटवारा खसरा नम्बर 2112 की सम्पूर्ण आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं0 02 के हिस्से में आई हैं। अपीलांट खसरा नम्बर 2112 रकबा 2 बीघा का बंटवारा कराने का अधिकारी नही है और ना ही अपीलांट कभी भी विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त रहा है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

8. रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2048–2051 वाके ग्राम करौली में खसरा नम्बर 2111 रकबा 02 बीघा लाला/मूला व कम्पूरी बेवा मूला 1/2 भाग, कल्याण/हीरा नाई 1/2 भाग, खसरा नम्बर 2112 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा और 2115 रकबा 16 बिस्वा के बाबू, रामफूल, पिसरान श्रीराम मीना 1/2, लालाराम पुत्र मूला नाई, कम्पूरी बेवा मूला 1/2 हिस्से के दर्ज रिकार्ड खातेदार है। नामान्तरकरण सं0 734 दिनांक 23.02.93 से खसरा नम्बर 2111 का 1/2 हिस्सा कल्याण के बजाय भरतलाल पुत्र सिलोना मीना के नाम दर्ज हुआ।

जमाबंदी वाके ग्राम दीपपुरा में खसरा नम्बर 1748 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा लालाराम पुत्र मूला, कल्याण पुत्र हीरा नाई के नाम दर्ज रिकार्ड हैं।

प्रकरण में 03 संशोधित तनकीयात दिनांक 25.06.19 को निश्चित की गई। जो कि निम्नानुसार हैः–

(1) आया मुताबिक वाद पत्र मद संख्या 01 वादी आराजी खसरा नम्बर 2112 व 1748 सम्पूर्ण की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। –वादी

(2) आया विवादित आराजी 2112 व 2115 वाके कस्बा करौली का बंटवारा वादी कराने का अधिकारी है। –वादी

(3) अनुतोष।

अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी करौली द्वारा तनकी संख्या 01 की विवेचना पूर्ण किए बिना व बिना निष्कर्ष ही निर्णय पारित किया गया है। जबकि ऑर्डर 20–रूल–05 सिविल प्रकिया संहिता अनुसार एक बार तनकी बन जाने पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है। इस तथ्य का निर्धारण नही करने से निर्णय अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राज0 के दृष्टांत आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 283 पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

"CIVIL PROCEDURE CODE 1908- Order 41 Rule 31 Appellate Court has not given Judgment on each issue whareas Appellate Court. Should have given finding on each issue. Order set aisde."

इसी तरह ग्राम दीपपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1748 में कुल 04 खातेदार है। परन्तु तनकी सं0 01 के अधूरे विवेचन में केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से का विवेचन किया गया है। प्रभु व मूला का हिस्सा किस प्रकार हजफ किया गया, विवेचित नही है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2020 बउनवान लालाराम बनाम कल्याण वगैरह को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि तनकी सं0 01 की विस्तृत विवेचना करने हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी करौली के समक्ष दिनांक 06.02.23 को उपस्थित हों।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 06.01.2023 को सुनाया गया।

06.01.2023

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाईमाधोपुर

# डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत :—बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर**

उनवान

1. लालाराम पुत्र मूला जाति नाई निवासी दीपपुरा तहसील व जिला करौली राजस्थान।

....अपीलांट।

बनाम

1. भरतलाल पुत्र सिलोना जाति मीना निवासी जमुनालाल के पेट्रोल पम्प के पास गुलाब बाग करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।
2. कल्याण पुत्र हीरा जाति नाई
3. रामहरी पुत्र बाबूलाल
4. भूरा पुत्र बाबूलाल
5. कमलसिंह पुत्र रामफूल
6. लाला पुत्र रामफूल
   सभी जातियान मीना निवासीयान दीपपुरा तहसील व जिला करौली राजस्थान।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टगण।

**अपील संख्या :70 / 2020**
**जी.सी.एम.एस संख्या :2020 / 00129**

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 06.01.2023

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी सवाई करौली

यह अपील व तारीख 06.01.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री नवल किशोर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2020 बउनवान लालाराम बनाम कल्याण वगैरह को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि तनकी सं0 01 की विस्तृत विवेचना करने हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी करौली के समक्ष दिनांक 06.02.23 को उपस्थित हों। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राज.) सत्यमेव जयते)

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
06.01.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर